

आज पत्रावली पेश हुई वकील

उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादीगण की ओर
से विभाजन स्कीम पर आपत्ति पेश की, बकल
दी गयी। पत्रावली वास्ते जबाब आपत्ति दि
23-2-21 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 23-02-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
वकील वादी ने आपत्ति का जबाब प्रस्तुत किया। वकील उभय
पक्ष को सुना गया। प्रतिवादीगण की आपत्ति निराधार होने के
कारण खारिज की जाती है तथा वादीगण का वाद अंतिम रूप
से डिकी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया
जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार
होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)